बहारे तहरीर

(हिस्सा 6)

इल्मी, तहकीकी और इस्लाही तहरीरों
पर मुश्तमिल एक गुलदस्ता

नाशिर :
अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल

ABOUT US

Abde Mustafa Official, a team from Ahle Sunnat Wa Jama'at
Our motto : Serving Quraano Sunnat, preaching Ilme Deen and
to reform people.

This team came into existence in the year 2012 and in very few years this team did a lot of acts.
There is also a special place of Abde Mustafa Official on social media networking sites.

Lots of people from all over the world are connected to us via Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, YouTube and Blogger.

Abde Mustafa Official

abdemustafaofficial.blogspot.com

بسم الله الرحمن الرحیم

सुन्नी से दोस्ती करें

किसी से दोस्ती करना उस से रिश्ता क़ाइम करने के बराबर है लिहाज़ा हमें चाहिये कि सुन्नी सहीहुल अक़ीदा से दोस्ती करें।

हमारे नबी ﷺ ने इरशाद फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो तुम में से हर एक को देख लेना चाहिये कि वो किस से दोस्ती कर रहा है।

(سنن ابی داؤد، باب من یؤمر عن یجالس، ج4، ص407 بہ حوالہ آداب الصحبۃ وحسن العشرۃ، اردو، ص17)

किसी को अपना दोस्त बनाने से पहले अच्छी तरह मालूम कर लीजिये कि उस का दीन क्या है और अक़ीदा क्या है वरना आप को अपनी गलती की क़ीमत अपना दीन दे कर चुकानी पड़ सकती है।

अब्दे मुस्तफ़ा

खायें लेकिन शोर ना मचायें

आज मैने बिरयानी खायी, आज मेरे घर में गाजर का हलवा बना था, आज हम ने फुलाँ सब्ज़ी खायी और फुलाँ फुलाँ फ़ल खाये........,

ऐसा कुछ भी कहने से पहले देख लीजिये कि आपके आस पास किस तरह के लोग मौजूद हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन में से किसी ने कई दिनों से अच्छा खाना ना खाया हो और आप की बातें सुनकर उसे तकलीफ़ महसूस हो।

हमारे प्यारे नबी ﷺ ने इरशाद फरमाया : तुम अपनी हांडी (में पकने वाले खाने) की बू से अपने पड़ोसियों को तकलीफ मत पहुँचाओ।

(ملتقطاً: کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، اردو، ج9، ص42، ر24897)

इस हदीस को सामने रखकर ये भी कहा जा सकता है कि खाने की तसवीर (फोटो) खींच कर फेसबुक पर अपलोड करना या किसी दूसरे ज़रिये से अपने दोस्तों या किसी और को भेजना भी दूरुस्त नहीं है।

आप खायें लेकिन शोर ना मचायें।

अब्दे मुस्तफ़ा

आशिक की ज़कात

हज़रते अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा से किसी ने ज़कात का निसाब पूछा।
आप ने फरमाया कि फिक़्ह का मस'अला पूछ रहे हो या इश्क़ की बात कर रहे हो?
उस बन्दे ने कहा कि दोनो तरह इरशाद फरमा दें।
आप ने फरमाया कि शरीअत की ज़कात अढ़ाई फी सद (2.5%) है, जब कि इश्क़ की ज़कात सारे का सारा माल और उस के साथ साथ जान का नज़राना पेश करने से अदा होती है।
उस बन्दे ने कहा कि इश्क़ की ज़कात की क्या दलील है?
आप ने फरमाया की इस की दलील ये है कि सैय्यिदुना सिद्दीक़ - ए- अकबर रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने अपना सारा माल नबीय्ये करीम ﷺ की खिदमत में पेश कर दिया और अपनी बेटी सैय्यिदा आइशा सिद्दीक़ा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा नज़राने के तौर पर पेश कर दी।

(مکتوبات یحییٰ منیری، ص34 بہ حوالہ ضرب حیدری، ص51)

अब्दे मुस्तफ़ा

मोहताज का जब ये आलम है

हज़रते शैख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग रहीमहुल्लाहु त'आला के शागिर्द हज़रते अल्लामा अहमद बिन मुबारक अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं कि एक दिन में अपने उस्तादे मुहतरम के साथ महवे कलाम था। मैने आप रहीमहुल्लाहु त'आला के सामने हज़रते सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़्किरा किया कि अल्लाह त'आला ने उनके लिये किस तरह जिन्नो इन्स, शयातीन और हवा को मुसख्खर कर दिया था!
मैने ये भी ज़िक्र किया कि हज़रते दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मोजिज़ा अता किया गया कि लोहा उन के हाथ में आ कर आटे की टिकिया की तरह नर्म हो जाता!
(फिर मैने कहा) हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम को कोढियों को तंदरुस्त करने, मादर ज़ाद अँधों को बीना करने और मुर्दों को ज़िन्दा करने का मोजिज़ा अता फरमाया था!
मेरी इस गुफ्तगू से आप रहीमहुल्लाह ने समझा कि शायद मैं ये कह रहा हूँ कि जब हुज़ूर ﷺ सैय्यिदुल खल्क़ हैं और तमाम अम्बिया से अफज़ल हैं तो फिर आप ﷺ से इस तरह के

मोजिज़ात क्यों रुनुमा नहीं हुये और जो मोजिज़ात आप से रुनुमा हुये उन का अन्दाज़ जुदागाना है।

इस के बाद उस्तादे मुहतरम ने फरमाया कि वो तमाम बादशाही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रते सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमायी, हज़रते दाऊद अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़्दस में लोहे को नर्म कर दिया था और जिन इनायात से अल्लाह त'आला ने हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम को नवाज़ा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सब कुछ बल्कि इस से बहुत ज़्यादा आप ﷺ की उम्मत के औलिया -ए- कामिलीन को अता किया है!

अल्लाह त'आपा ने औलिया के लिये जिन्नो इन्स, शयातीन, हवा और मलाइका बल्कि तमाम आलम को मुसख्खर कर दिया है।

अल्लाह ने इन को क़ुदरत बख्शी है वो मादर ज़ाद अँधों को बीना कर देते हैं, अपाहिजों को सिह्ह्त अता करते हैं, मुर्दों को ज़िन्दा करते हैं लेकिन ये वो पोशीदा अम्र है जो मख्लूक़ के लिये ज़ाहिर नहीं किया जाता ताकि लोग उन की तरफ हमा तन माइल हो कर अपने अल्लाह को भूल ना जायें।

औलिया -ए- किराम को ये क़ुदरत वा तवानाई ताजदार -ए- मदीना ﷺ की बरकत से हासिल हुयी है, ये सब आप ﷺ के मोजिज़ात ही हैं।

(الابریز)

अब्दे मुस्तफ़ा

आप का ज़िक्र है खास ज़िक्रे खुदा

नबीय्ये अकरम, नूरे मुजस्सम, सरकार -ए- मदीना ﷺ का ज़िक्र करना, खुदा का ज़िक्र करना है।

अल्लाह त'आला ने आप ﷺ के ज़िक्र को बुलंद किया है और अपना ज़िक्र क़रार दिया है। हदीस -ए- क़ुदसी है, अल्लाह त'आला फरमाता है :

मैं ने ईमान का मुकम्मल होना इस बात पर मौक़ूफ कर दिया है कि (ए महबूब) मेरे ज़िक्र के साथ तुम्हारा ज़िक्र भी हो और मैने तुम्हारे ज़िक्र को अपना ज़िक्र ठहरा दिया है पस जिस ने तुम्हारा ज़िक्र किया उस ने मेरा ज़िक्र किया।

(الشفاء للقاضی عیاض المالکی)

क़ुरआन -ए- करीम में अल्लाह त'आला के ज़िक्र के साथ ज़िक्रे रसूल ﷺ के जलवे कई जगह नज़र आते हैं, चुनांचे इरशाद -ए- बारी है :

(1) तो ऐलान -ए- जंग सुन लो अल्लाह और उस के रसूल की तरफ से।

(البقرة:279)

(2) और जो हुक्म माने अल्लाह और उस के रसूल का।

(النساء:13)

(3) और जो अल्लाह और उस के रसूल की नाफरमानी करे।

(النساء:14)

(4) हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का।

(النساء:59)

(5) तो उसे अल्लाह और उस के रसूल के हुज़ूर रुजू करो।

(النساء:59)

(6) अल्लाह की उतरी हुई किताब और रसूल की तरफ आओ।

(النساء:61)

(7) और जो अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म माने ।

(النساء:70)

(8) जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उस ने अल्लाह का हुक्म माना।

(النساء:80)

(9) और जो अपने घर से निकला अल्लाहो रसूल की तरफ हिजरत करता।

(النساء:100)

(10) ईमान रखो अल्लाह और उस के रसूल पर।

(النساء:136)

(11) और काफिर चाहते हैं कि अल्लाह से उस के रसूलों को जुदा कर दें।

(النساء:150)

(12) और जो अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान लाये।

(النساء:152)

(13) अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान लाओ।

(النساء:171)

(14) जो अल्लाह और उस के रसूल से लड़ते हैं।

(المائدہ:33)

(15) तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उस का रसूल और ईमान वाले।

(المائدہ:55)

(16) और जो अल्लाह और उस के रसूल और मुसलमानों को अपना दोस्त बनाये।

(المائدہ:56)

(17) आओ उसकी तरफ जो अल्लाह ने उतारा और रसूल की तरफ।

(المائدہ:104)

(18) तो ईमान लाओ अल्लाह और उस के रसूल बे पढ़े गैब बताने वाले पर।

(الاعراف:158)

(19) अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म मानो।

(الانفال:1)

(20) ये इस लिये कि इन्होने अल्लाह और उस के रसूल से मुखालिफत की।

(الانفال:13)

(21) और जो अल्लाह और उस के रसूल से मुखालिफत किये।

(الانفال:13)

(22) अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म मानो।

(الانفال:20)

(23) ए ईमान वालों! अल्लाह और उस के रसूल के बुलाने पर हाज़िर हो जाओ।

(الانفال:24)

(24) अल्लाह और रसूल से दगा ना करो।

(الانفال:27)

(25) तो इसका पाँचवा हिस्सा खास अल्लाह और उस के रसूल का है.........अल आयत।

(الانفال:41)

(26) बेज़ारी का हुक्म सुनाना है अल्लाह और उस के रसूल की तरफ से।

(التوبه:1)

(27) अल्लाह और उस के रसूल की तरफ से तमाम लोगों की तरफ बड़े हज के दिन ऐलान है।

(التوبه:3)

(28) अल्लाह बेज़ार है मुशरिकों से और उस का रसूल।

(التوبه:3)

(29) मुशरिकों के लिये अल्लाह और उस के रसूल के पास कोई अहद क्यों कर होगा।

(التوبه:7)

(30) अल्लाह और उस के रसूल और मुसलमानों के सिवा किसी को अपना राज़दार ना बनायेंगे।

(التوبه:16)

(31) ये चीज़ें अगर तुम्हें अल्लाह और उस के रसूल से ज़्यादा प्यारी हों।

(التوبه:24)

(32) और हराम नहीं मानते उस चीज़ को हराम किया अल्लाह और उस के रसूल ने।

(التوبه:29)

(33) ये कि वो अल्लाह और उस के रसूल से मुन्किर हुये।

(التوبه:54)

(34) और क्या ही अच्छा होता अगर वो इस पर राज़ी होते और जो अल्लाह और उस के रसूल ने इन को दिया।

(التوبہ:59)

(35) और कहते हैं हमें अल्लाह काफी है अब देता है अल्लाह हमें अपने फ़ज़्ल से और उस का रसूल।

(التوبہ:59)

(36) और अल्लाहो रसूल का हक़ ज़्यादा था कि उसे राज़ी करते।

(التوبہ:62)

(37) जो मुखालिफत करे अल्लाह और उस के रसूल की।

(التوبہ:63)

(38) और अल्लाहो रसूल का हुक्म मानें।

(التوبہ:71)

(39) और उन्हें क्या बुरा लगा यही ना कि अल्लाहो रसूल नें उन्हें गनी कर दिया।

(التوبہ:74)

(40) इस लिये कि वो अल्लाह और उस के रसूल के मुन्किर हुये।

(التوبہ:80)

(41) बेशक वो अल्लाह और रसूल से मुन्किर हुये।

(التوبہ:84)

(42) वो जिन्होनें अल्लाहो रसूल से झूठ बोला था।

(التوبہ:90)

(43) जब कि अल्लाह और उस के रसूल के खैर खा रहें।

(التوبہ:91)

(44) और अब अल्लाहो रसूल तुम्हारे काम देखेंगे।

(التوبہ:94)

(45) और अब अल्लाहो रसूल तुम्हारे काम देखेंगे।

(التوبه:105)

(46) और (ये मस्जिद -ए- ज़र्रार) उस के इंतिजार में हैं जो पहले से अल्लाह और उस के रसूल का मुखालिफ है।

(التوبه:107)

(47) हम ईमान लाये अल्लाह और उस के रसूल पर।

(النور:47)

(48) और जब अल्लाह और उस के रसूल की तरफ बुलाये जायें।

(النور:48)

(49) या ये डरते हैं अल्लाहो रसूल इन पर ज़ुल्म करेंगे।

(النور:50)

(50) जब अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाये जायें कि रसूल इन में फैसला फ़रमाये।

(النور:51)

(51) और जो हुक्म माने अल्लाह और उस के रसूल का।

(النور:52)

(52) तुम फ़रमाओ कि हुक़्म मानो अल्लाह और हुक़्म मानो रसूल का।

(النور:54)

(53) ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उस के रसूल पर यक़ीन लाये।

(النور:62)

(54) जो अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाते है।

(النور:62)

(55) हमे अल्लाहो रसूल ने वादा न दिया।

(الاحزاب:12)

(56) बोले ये है वो जो हमे वादा दिया था अल्लाह और उस के रसूल ने।

(الاحزاب:22)

(57) और सच फरमाया अल्लाह और उस के रसूल ने।

(الاحزاب:22)

(58) अगर तुम अल्लाह और उस के रसूल को चाहती हो।

(الاحزاب:29)

(59) और जो तुम में फ़रमा बरदार रहे अल्लाह और उस के रसूल की।

(الاحزاب:31)

(60) और अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म मानो।

(الاحزاب:32)

(61) जब अल्लाहो रसूल कुछ हुक्म फ़रमा दे।

(الاحزاب:36)

(62) और जो हुक्म न माने अल्लाह और उस के रसूल का।

(الاحزاب:36)

(63) जिसे अल्लाह ने नेमत दी और तुमने उसे नेमत दी।

(الاحزاب:57)

(64) बेशक जो इज़ा देते है अल्लाह और उस के रसूल को।

(الاحزاب:66)

(65) हाय किसी तरह हम ने अल्लाह का हुक्म माना होता और रसूल का हुक्म माना होता।

(الاحزاب:66)

(66) और जो अल्लाह और उस के रसूल की फ़रमा बरदारी करे।

(الاحزاب:71)

(67) अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो।

(محمد:33)

(68) ताकि तुम लोग अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाओ।

(الفتح:9)

(69) वो जो तुम्हारी बैअत करते है वो अल्लाह ही से बैअत करते हैं

(الفتح:10)

(70) और जो ईमान ना लाये अल्लाह और उस के रसूल पर।

(الفتح:13)

(71) और जो अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म माने।

(الفتح:17)

(72) अल्लाह और उस के रसूल से आगे ना बढ़ो।

(الحجرات:1)

(73) और अगर तुम अल्लाह और उस के रसूल के फरमा बरदारी करोगे

(الحجرات:14)

(74) ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाये।

(الحجرات:15)

(75) और वो जो अल्लाह और उस के सब रसूलो पर ईमान लाये।

(الحديد:19)

(76) ये इस लिए कि तुम अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान रखो।

(المجادلة:4)

(77) बेशक जो मुखालिफत करते है अल्लाह और उस के रसूल की।

(المجادلة:5)

(78) और अल्लाह और उस के रसूल के फ़रमा बरदार रहो।

(المجادلة:13)

(79) बेशक वो जो मुखालिफत करते है अल्लाह और उस के रसूल की।

(المجادلة:20)

(80) अल्लाह लिख चुका कि ज़रूर मैं ग़ालिब आऊंगा और मेरे रसूल।

(المجادلة:21)

(81) और जिन्होंने अल्लाह और उस के रसूल की मुखालिफत की।

(المجادلة:22)

(82) ये इस लिए कि वो अल्लाह और उस के रसूल से जुदा रहे।

(الحشر:40)

(83) (वो गनीमत) अल्लाह और उस के रसूल की है।........अल आयत

(الحشر:70)

(84) और अल्लाहो रसूल की मदद करते है।

(الحشر:80)

(85) ईमान रखो अल्लाह और उस के रसूल पर।

(الصف:11)

(86) और इज़्ज़त अल्लाह और उस के रसूल और मुसलमानों के लिए ही है।

(المنافقون:8)

(87) तो ईमान लाओ अल्लाह और उस के रसूल पर।

(التغابن:8)

(88) और अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो।

(التغابن:12)

(89) और जो अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म माने।

(الجن:23)

(ملخصاً: کمال و جمال حبیب، ص42 تا 49)

ज़िक्रे ख़ुदा जो उन से जुदा चाहो नजदियो
वल्लाह ज़िक्रे हक़ नहीं कुंजी सक़र की है

इमाम -ए- अहले सुन्नत फरमाते है कि ए नजदियो! अगर तुम ये चाहते हो कि हुज़ूर के ज़िक्र को ख़ुदा के ज़िक्र से जुदा कर दिया जाए तो खुदा की कसम! ऐसा ज़िक्र ख़ुदा का ज़िक्र ना कहला सकेगा बल्कि (वो ज़िक्र) जहन्नम की चाबी साबित होगा और तुम्हे दोज़ख में गिरा कर छोड़ेगा।

(انظر: شرح کلام رضا، ص590)

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

अब क्या देखूँ जब तू सामने है

हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा फरमाती हैं :

मैं चरखा कात रही थी और हुज़ूर -ए- अकरम ﷺ मेरे सामने बैठे हुये अपने जूतों को पेवन्द लगा रहे थे।

आप ﷺ की पेशानी मुबारक पर पसीने के क़तरे थे जिन से नूर को शुआयें निकल रही थी। इस हसीन मंज़र ने मुझे चरखा कातने से रोक दिया, बस मैं आप को देख रही थी........,आप ﷺ ने फरमाया : तुझे क्या हुआ?

मैने अर्ज़ की : आप की पेशानी मुबारक पर पसीने के क़तरे हैं जो नूर के सितारे मालूम होते हैं। अगर (अरब का मशहूर शायर) अबू कबीर आप को इस हालत में देख लेता तो यक़ीन कर लेता कि उस के शेर का मिस्दाक़ आप ही हैं कि :

واذا نظرت الی اسرۃ وجھہ

برقت بروق العارض المتھلل

यानी जब मैं उस के रूये मुबारक को देखता हूँ तो उस के रुखसार की चमक मिस्ले हिलाल नज़र आती है।

(ابن عساکر، ابو نعیم، دیلمی، خطیب، زرقانی علی المواھب، ذکر جمیل بہ حوالہ کمال وجمال حبیب، ص180)

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

ईद में गुनाहों की शॉपिंग

ईद के लिये नये कपड़े मोल लेने के साथ साथ आज कल गुनाहों की भी खरीदारी हो रही है......!

शायद ही कोई ऐसा मार्केट होगा जिस में बे पर्दा औरतों का रेला ना लगा हो।

खुले आम औरतें दुकानदार मर्दों से बात चीत कर रही हैं और शौहर साहिब पहलू में खड़े देख रहे हैं क्योंकि उन के नज़दीक तो "ये सब चलता है।"

अभी जो हालात हैं, एक नेक आदमी मार्केट में क़दम रखने की सोच भी नहीं सकता। ये "रेला" सडकों से ले कर गलियों तक लगा हुआ है।

अगर किसी वजह से ये मनाज़िर देखने का इत्तिफाक़ हो जाता है तो दिल खून के आँसू रोता है।

ये हमें क्या हो गया है? हम किधर जा रहे हैं? क्या ईद की शॉपिंग इतनी ज़रूरी है कि हम शरीअत को पीठ पीछे डाल दें?।

अगर शॉपिंग से वक़्त मिल जाये तो कभी सोचें कि क्या हम ने गुनाहों की शॉपिंग तो नहीं की?

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

क्या ऐसा नहीं हो सकता?

क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक शौहर अपनी बीवी के लिये "शरीफों वाले" कपड़े खरीद लाये और बीवी उसे खुशी खुशी क़बूल कर ले?

नहीं नहीं बिल्कुल नहीं! ये मैने क्या कह दिया! ऐसा कैसे हो सकता है.......!

बीवी साहिबा की पसंद भी तो कोई चीज़ है, शौहर पर तो लाज़िम है कि एक दिन बल्कि दो दिन और अगर ना हो तो तीन दिन का वक़्त निकालकर बीवी को पूरे बाज़ार घुमा कर शॉपिंग करवाये और ऐसे कपड़े दिलवाये जो मुहल्ले में सब से अलग हो ताकि देखने वालों के तास्सुरात (कमेंट्स) के इज़हार से दोनों मियाँ बीवी को सुकून हासिल हो।

ये भी देखना ज़रूरी है कि इस साल ईद में "क्या चल रहा है?" (मतलब किस का ट्रेंड है) कहीं ऐसा ना हो कि हम पुराने वर्ज़न (मॉडल) के कपड़े खरीद लें और बाज़ार में कुछ और चल रहा हो।

बीवी साहिबा खुद कपड़े का कलर, डिज़ाइन, क़्वालिटी, ब्रांड और क़ीमत वगैरा देखेंगी और दुकानदार से खुद मोल तोल भी करेंगी।

अब हम पर्दे की बात करेंगे तो ये तक कहा जा सकता है कि "निय्यत अच्छी होनी चाहिये" लिहाज़ा हम खामोश हैं क्योंकि शौहर, बीवी, दुकानदार और आस पास में मौजूद लोग, सब की निय्यत अच्छी है और हमारी ही सोच खराब है।
गुस्ताखी मुआफ करें, हम ज़्यादा बोल गये.........!

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

लव या अरेंज?

शादियों का जो तरीक़ा अभी चल रहा है, उस की वजह से कई लोग इस गलत फ़हमी में पड़ जाते हैं कि उन्होने अरेंज मेरिज की है।
ज़रा गौर करें कि अरेंज मेरिज आज कल होती कहाँ है?
रिश्ता तय होने के फ़ौरन बाद लड़का और लड़की अपना अपना मोबाइल सम्भाल लेते हैं और दिन रात एक दूसरे से गप शप जारी रहती है फिर मुलाक़ातें और बातों पर बातें.........,
ये तो घुमा फिरा कर लव मैरिज ही है जिसे अरेंज का नाम दे दिया गया है।
ऐसा भी होता है कि शादी की तारीख महीनों बल्कि एक साल के बाद की रखी गई है और इधर लड़के और लड़की के दरमियान मुलाक़ातों और बातों सिलसिला जारी है जो शादी तक चला तो चला वरना कुछ गड़बड़ होने पर शादी कैंसल!
एक दूसरे को देख लिया, बातें कर ली, हाथों में हाथ देकर पार्क वगैरा भी घूम लिया, ऑनलाइन चेटिंग भी कर ली, ऑफ़लाईन भी नहीं छोड़ा तो अब हमें कोई समझा दे कि ये अरेंज मेरिज कैसे हुआ? ये तो खालिस लव मेरिज है जिस में थोड़ी सी तब्दीली (चेंजिंग) है जैसे लव मेरिज में खुले आम एक दूसरे को देख कर पसंद किया जाता है उसी तरह आज कल अरेंज मेरिज में भी किया जाता है, डेटिंग चेटिंग दोनों में होती है।
हो सकता है कोई ये कहे कि लव मेरिज में प्रपोज किया जाता है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है तो हम बता दें कि आज कल अरेंज मेरिज में भी प्रपोज का सिस्टम है जिसे मंगनी (इंगेजमेंट) का नाम दे दिया गया है।
दोनों में फ़र्क़ ये है कि वहाँ "आई लव यू" बोलकर प्रपोज किया जाता है और यहाँ मंगनी (इंगेजमेंट) में एक दूसरे से बात करने के बाद अँगूठी पहना कर प्रपोज किया जाता है।
वहाँ लड़की या लड़के की तरफ से इक़रार और इंकार की गुंजाइश होती है तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, अगर चाहो तो इक़रार या इंकार।

ये लव मेरिज जिस पर अरेंज का लेबल लगा कर काम चलाया जा रहा है, इस में एक फाइदा लड़कों और लड़कियों को ये हो जाता है कि "सेफटी" पूरी मिलती है।
इस में दोनों महफ़ूज रहते हैं, ना तो फोन पर बात करने से अपना बाप रोक सकता है और ना मुलाक़ात करने से उस का बाप!
हमारी इस तहरीर से वो लोग अपनी गलत फ़हमी का इलाज कर सकते हैं जिन्हें लगता है कि उन्होने अरेंज मेरिज की है या करेंगे।

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

हमारी बेटी ऐसी वैसी नही है

आज बेटी खुद बाजा़र से अपनी पसंद के कपड़े खरीद कर लाई है और बाप ,माँ और भाई बहुत खुश हैं के लड़की समझदार हो गयी है।
इस तरक़्क़ी से घर मे किसी को तकलीफ़ नही है लेकिन अगर कोई दीनी इल्म रखने वाला "मौलवी टाइप शख्स" इस "तरक़्क़ी" को गलत कहने की जसारत कर बैठे तो उसे फौरन जवाब दिया जाता है के "हमारी बेटी ऐसी वैसी नही है" अब उन्हें कौन समझाए के किसी की भी बेटी पैदाइशी "ऐसी वैसी " नही होती।
आप को भले ही अपनी बेटी पर भरोसा हो लेकिन हम तो इतना ही जानते है के वो भी इंसान हैं।
आप कुछ भी कहें लेकिन ये सच है के वो गुनाहों से मासूम नही है।
आपकी नज़रो में आपकी बेटी का कोई दुश्मन नही है लेकिन एक खुला दुश्मन है जिसे शैतान कहा जाता है।
ये भी जान लीजिए के जितनी लड़कियां लड़कों के साथ भाग गयी, जिनके साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया गया और जिन्होंने खुदखुशी कर ली वो सब लड़कियां भी पैदाइशी "ऐसी वैसी" नही थी बल्कि कईयो ने मिलकर कर उसे "ऐसी वैसी" बना डाला।
हमने इशारे में में बहुत कुछ कहा है अगर आप समझ गए तो फिर ये भी समझ लीजिए के ये "तरक़्क़ी" नही है।
आप नही समझे तो फिर आप की बेटी तो स्कूटी चलाना जानती ही है बस चाबी दे दीजिए और पैसे या कार्ड दे दीजिए ताकि वो भी इस ईद पर अपने पसंद की शॉपिंग कर सके।

वैसे दीनी इल्म रखने वाले "मौलवी टाइप लोग" अगर ज़्यादा बोले तो आप बिलकुल तवज्जोह ना दे क्यों के आप उनसे बेहतर जानते है के "तरक़्क़ी" किसे कहेते है और आप की बेटी भी
"ऐसी वैसी" तो है नही।

अब्दे मुस्तफा

30 जोड़े कपड़े

मेरे सामने एक शख़्स ने अपने बेटे से कहा :
मेरे पास 25 से 30 जोड़े कपड़े हो गए है लिहाज़ा इस साल (ईद के लिए) मैं कपड़े नही लूँगा।
बेटे ने कहा : ऐसा कैसे हो सकता है, कपड़े तो आप को लेने ही होंगे.........!
किसी गरीब के पास पहनने के लायक दो जोड़े कपड़े नही हैं और किसी के पास 25 से 30 जोड़े कपड़े रखे हुए है, ये कैसा इंसाफ है?
अपने माल से जहाँ तक हो सके गरीबो की मदद कीजिये
अगर आप के पास कई जोड़े कपड़े है तो ज़रूरी नही के हर ईद पर नए कपड़े खरीदे जाएं।
अपने रिश्तेदारो में या जिन के बारे में आप जानते है के उन की माली हालत खराब है, उन की जिस तरह हो सके मदद कीजिये।

अब्दे मुस्तफ़ा

इल्म हासिल करने का मक़सद

इल्म हासिल करने से पहले ये निय्यत होनी चाहिए कि हम उस पर अमल करेंगे और हो सका तो दूसरों को भी तरगी़ब दिलाएंगे।
इल्म को दुन्या के लिए हासिल करना कियामत की निशानियों में से एक है।
नबीय्ये अकरम ﷺ ने कियामत की एक निशानी ये बताई कि दीनी ग़र्ज़ के इलावा इल्म हासिल किया जाएगा।

(سنن الترمذی، باب ماجاء فی علامة حلول المسخ والخسف، ح2211)

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

दुनिया के लिए इल्म

नबीय्ये करीम ﷺ ने इरशाद फरमाया के जो अल्लाह की रज़ा के इलावा किसी और मक़सद के लिए इल्मे दीन हासिल करे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।

(جامع الترمذی، باب ماجاء فیمن یطلب بعلمہ الدنیاء، ح2655)

सुनन तिर्मज़ी के जिस बाब में ये हदीस है उस का उनवान है :

"باب ماجاء فيمن يطلب بعلمه الدنياء"

यानी "जो इल्म के ज़रिए दुनिया का तलबगार हो" और इसी बाब में एक और हदीस कुछ यूं है कि नबीय्ये करीम ﷺ ने इरशाद फरमाया :

जो शख़्स इल्म इस लिए हासिल करे ताकि उस के ज़रिए उलमा का मुकाबला करे या जुहला के साथ बहस करे या लोगो की तवज्जोह अपनी तरफ मबज़ुल करे तो अल्लाह त'आला उसे जहन्नम में दाखिल करेगा।

(ایضاً، ح2654)

अल्लाह त'आला हमे फ़क़त अपनी रज़ा के लिए इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।

अब्दे मुस्तफ़ा

जा तुझे बख़्शा

अमीरुल मुअमिनीन, हज़रते मौला -ए- काइनात, अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा रदिअल्लाहु त'आला अन्हु फ़रमाते हैं कि नबीय्ये करीम ﷺ की वफ़ात के बाद आप के रोज़ाए अनवर पर एक अअ़राबी हाज़िर हुआ और उस ने अपने आप को वहाँ गिरा दिया फिर मज़ार -ए- पाक की खाक को अपने सर पर डालते हुये कहने लगा :

या रसूलल्लाह! जो कुछ आप पर नाज़िल हुआ हम ने सुना और उन में से यह (आयत) भी है :

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا (النساء:64)

यानी "और अगर वह अपनी जानों पर ज़ुल्म कर बैठें तो ऐ हबीब! तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर हों और फिर अल्लाह से मुआफ़ी चाहें और रसूल उन की शफाअत फ़रमाए तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा क़ुबूल करने वाला मेहरबान पाएं।

(अअ़राबी ने मज़ीद अर्ज़ किया) या रसूलल्लाह ﷺ मैं ने अपने ऊपर ज़ुल्म किया है (या'नी गुनाह किये हैं) और आप की बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ ताकि आप मेरे लिये मग्फिरत की दुआ फरमाएं।

क़ब्र -ए- अन्वर से आवाज़ आई : जा तुझे बख्श दिया गया।

(وفاالوفا،ج2،ص1361وتفسیر مدارک)

इमाम ए अहले सुन्नत क्या खूब लिखते हैं

मुजरिम बुलाये आये है "जा'ऊका" है गवाह
फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है।

बा खुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मक़र
जो वहाँ से हो यहीं आके हो जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं।

वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया
हमें भीख माँगने को तेरा आस्ताँ बताया

टीम अ़ब्दे मुस्तफ़ा

लिखने और बोलने से पहले सोच लीजिये

नबीय्ये पाक ﷺ का फरमान है :
बंदा कभी सिर्फ एक बात अल्लाह त'आला की रज़ा के खातिर बोलता है और उस को गुमान भी नहीं होता कि ये बात चलते चलाते कहाँ तक पहुँच जायेगी और उस की सिर्फ यही एक बात क़ियामत तक के लिये रज़ा -ए- इलाही का ज़रिया बन जाती है और कभी बंदा सिर्फ एक बात ऐसी बोलता है जो अल्लाह त'आला की नाराज़गी का सबब होती है और उस को ये अन्दाज़ा नहीं होता कि ये बात (कितनी ज़ुबानों से होती हुई) कहाँ तक पहुँच जायेगी और वही एक बात उस के लिये क़ियामत में अल्लाह त'आला की नाराज़ी का सबब बन जाती है।

(المستدرک للحاکم، اردو، کتاب الایمان، ج1، ص97،98، ر136)

इस में उन लोगों के लिये सबक है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और फिर उन की बात आग की तरह फैल जाती है। हमारे मुँह से निकली हुई बातें जब लोगों के कानों में पहुँचती हैं तो फिर वहीं तक नहीं रहती बल्कि कई कानों तक पहुँच जाती हैं, लिहाजा काफी सोच समझ कर बात करनी चाहिये।
सोशल नेटवर्किंग साइट्स (फेसबुक, वॉट्सएप्प और इसी तरह के दीगर प्लेटफॉर्मस) पर लिखने वालों के लिये भी लम्हा -ए- फिक्र है क्योंकि इन प्लेटफॉर्मस पर लिखी गयी बातों को कितने लोग पढ़ते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और शेयर करते हैं, इस का हमें अन्दाजा तक नहीं होता, इसी लिये चाहिये कि ज़रूरी बातें लिखें और फुज़ूल को तर्क कर दें।

अब्दे मुस्तफ़ा

मस्जिदों के इमामों के हालात

अहले सुन्नत की मस्जिदों में इमामत करने वालों के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हो चुके हैं। इमामत की अहमियत और ज़रूरत से हर मुसलमान वाक़िफ़ है और इस की फज़ीलत के लिये सिर्फ इतना कहना काफी होगा कि अल्लाह के नबी, हुज़ूर -ए- अकरम ﷺ ने भी इमामत फरमायी है।
अब जो हम बयान करने जा रहे हैं वो आँखों देखी बातें हैं जो हम ने कुछ मस्जिदों में देखी है वरना अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ कहाँ ऐसी ज़बूँ हाली है।

इमाम ऐसा शख्स है जिस के पास सनद (डिग्री) तो है लेकिन नमाज़ के बुनियादी मसाइल तक का इल्म नहीं है।
हम मानते हैं कि इमामत के लिये आलिम होना शर्त नहीं है लेकिन इस का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जिस को फराइज़ो वाजिबात तक का इल्म ना हो वो इमाम बन जाये।
ऐसे लोग इमामत कर रहे हैं जिन्हें फ़र्ज़ और वाजिब की तारीफ भी सहीह से मालूम नहीं है।
ऐसे लोग अपने साथ साथ अपने पीछे खड़े होने वाले लोगों की नमाज़ों को भी बरबाद कर रहे हैं।
अब ज़ुल्म की इन्तिहा देखिये कि जुम्आ के दिन वही इमाम तक़रीर भी करता है।
अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि तक़रीर करने के लिये भी आलिम होना ज़रूरी नहीं क्योंकि उलमा ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि गैरे आलिम का तक़रीर करना हराम है।
इस के इलावा मुहल्ले में आये दिन महफिल -ए- मीलाद का इनिक़ाद होता रहता है जिस में वही इमाम साहिब मुक़र्रिर -ए- खुसूसी होते हैं।
जब ऐसे लोग तक़रीर करते हैं तो जो मुँह में आता है बोल कर निकल जाते हैं जिस की वजह से आवाम गुमराह होती है।
नमाज़ें तो गई उपर से ईमान भी खतरे में आ गया!
बाज़ अवक़ात इमाम अगर कहीं गया है तो उस की गैर मौजूदगी में मुअज़्ज़िन साहिब इमामत के लिये खड़े हो जाते हैं जिन से नमाज़ के फराइज़ पूछे जायें तो जवाब में कहते हैं नमाज़ में पाँच फराइज़ हैं (फजर ता इशा) और क़िरा'अत में तो ऐसी रूहानियत होती है कि कुछ हुरूफ बल्कि मुकम्मल आयत ही सुनायी नहीं देती।
बयान करने को लम्बी दास्तान है लेकिन यही बहुत बड़ी बात है कि लोगों की नमाज़ों के साथ साथ उन का ईमान भी खतरे में हैं!
अब इस का ज़िम्मेदार कौन है? इस की इस्लाह कैसे मुमकिन है? आवाम को क्या करना चाहिये? इमाम का इन्तिखाब कैसे हो?.....? इन सब बातों पर हमारे अकाबिर उलमा को तवज्जोह देने की ज़रूरत है।
हर अहले इल्म की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस तरह हो सके इस मामले में आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करें।

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

मंगनी (इंगेजमेंट)

मंगनी दरअस्ल निकाह का वादा है, अगर ये रस्म शरई तकाज़ों के मुताबिक की जाए तो जायज़ है और इस मे लड़के वाले या लड़की वाले, दोनों का एक दूसरे को तोहफे देना ज़रूरी नही है।

अगर अंगूठी देते हैं तो ये नही होना चाहिए के लड़का खुद लड़की को अपने हाथ से अंगूठी पहनाये क्योंकि मंगनी से वो मिया बीवी नही बन जाते बल्कि मंगनी के बाद भी इन का आपस मे शरई पर्दा करना ज़रूरी है।

अगर निकाह में मंगनी न भी हो जब भी कोई हर्ज नही, कुछ लोग इसे निकाह का हिस्सा समझते है हालाँकि ऐसा नही है, न ये निकाह का हिस्सा है और न निकाह के लिए ज़रूरी है।

मुरव्वजा मंगनी की रस्म सब से पहले हिन्दुस्तान में ही शुरू हुई और हिन्दुओ से मुसलमानों में आयी। (जैसा के मुफ़्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब इस्लामी ज़िन्दगी में लिखा है)

आज कल मंगनी की रस्म बहुत सी गैर शरई रस्मो का मजमुआ बन गयी है। गाने बजाना, लडको और लड़कियों का बेपर्दा जमा होना, आपस मे हसी मज़ाक़ करना, ये सब हराम है और कई जगहों पर लड़के को सोने की अंगूठी पहनाई जाती है हालांकि मर्द पर सोना पहनना हराम है।

कुछ बूढ़ी दादियों ने हज़रते फ़ातिमा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा के बारे में ये बाते घड़ रखी हैं कि उन की मंगनी पर जन्नत से अंगूठियो के तोहफे आये थे ये सब झूट और मनघड़त है।

(انظر: فتاوی یورپ وبرطانیہ، ص290،291)

अब्दे मुस्तफ़ा

फ़िक़्ह में गंदी बातें

कुछ ऐसे लोग जिन्हे शायद इल्म रिएक्शन कर गया है और साइड इफेक्ट की वजह से दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है वो ये कहते हैं कि फिक़्ह और बिल खुसूस फिक़्हे हनफी की किताबों में गंदी गंदी बातें मौजूद हैं मसलन शर्मगाह को छूने, आपस में मिलाने और सोहबत की बातें और मनी, मज़ी और गंदे खून के बारे में बहसें मौजूद हैं।

अब अगर देखा जाये तो हदीस की किताबों में भी ऐसी गन्दी गन्दी बातें मौजूद हैं!

कुतुब -ए- अहादीस में ऐसे अबवाब मौजूद हैं जिन के नाम कुछ इस तरह हैं :

शर्मगाह छू लेने से वुज़ू,
शर्मगाहों के मिल जाने का हुक्म,
औरत की पिछली शर्मगाह में सोहबत,
तमाम बीवियों से सोहबत करने के बाद वुज़ू,
एहतिलाम में तरी देखना,
मज़ी से वुज़ू,
हैज़ वाली औरत के साथ सोहबत वगैराहुम।
इन के इलावा भी ऐसी बहुत सारी बातें मौजूद हैं जिन्हें फिक़्ह की किताबों में दिखा कर "गंदी" से ताबीर किया जाता है। ऐसे लोगों को चाहिये कि अच्छी बातों पर मुश्तमिल किसी किताब को पढ़ें और कुतुब-ए- अहादीस को हाथ भी ना लगायें।

अब्दे मुस्तफ़ा

अल्लाह वालों का क़ुर्ब

हज़रते अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि नबीय्ये करीम ﷺ ने इरशाद फरमाया :
तुम से पहले के लोगों में एक शख्स ने 99 क़त्ल किये फिर वो इलाक़े के सब से बड़े आलिम के पास गया और बताया कि उस ने 99 क़त्ल किये हैं (फिर पूछा कि) तौबा की गुंजाइश है? राहिब ने जवाब दिया: नहीं, उस शख्स ने उस राहिब को भी क़त्ल कर दिया और यूँ पूरे 100 हो गये।
फिर वो शख्स एक बड़े आलिम के पास गया और पूछा कि क्या उस के लिये तौबा की गुंजाइश है? आलिम ने कहा कि हाँ! तौबा की क़बूलियत में कौन हाइल हो सकता है, जाओ तुम फुलाँ जगह जाओ, वहाँ कुछ लोग अल्लाह त'आला की इबादत कर रहे हैं, तुम उन के साथ अल्लाह की इबादत करो और अपनी ज़मीन की तरफ वापस ना जाओ क्योंकि वो बुरी जगह है।
वो शख्स रवाना हुआ, जब आधे रास्ते पहुँचा तो मौत ने आ लिया! अब उस शख्स के बारे में रहमत के फिरिश्ते और अज़ाब के फिरिश्तों में इख्तिलाफ हो गया। रहमत के फिरिश्तों ने कहा कि ये शख्स तौबा करता हुआ और दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जेह होता हुआ आ रहा था, और अज़ाब के फिरीश्तों ने कहा कि इस ने कोई नेक अमल नहीं किया।

फिर इनके पास आदमी की सूरत में एक फिरिश्ता आया जिसे इन्होने हकम (फैसला देने वाला) बना दिया, उस ने कहा कि दोनों तरफ की ज़मीनों की पैमाइश करो और ये दोनों में से जिस इलाक़े के ज़्यादा क़रीब होगा उसी में शुमार होगा।

जब पैमाइश हुई तो वो शख्स उस के ज़्यादा क़रीब था जहाँ जाने का इरादा किया था, फिर रहमत के फिरिश्तों ने उस शख्स को ले लिया।

हज़रते हसन बसरी ने कहा कि जब उस शख्स पर मौत आयी तो वो सीने के बल (खिसक कर अपनी मंज़िल के) क़रीब हो गया एक और सनद में ये अल्फाज़ हैं कि अल्लाह त'आला ने (उस की बस्ती की) ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम दूर हो जाओ और उस (नेक लोगों की बस्ती की) ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम क़रीब हो जाओ।

(ملخصًا: صحیح مسلم، کتاب التوبۃ، باب قبول توبۃ القاتل وان کثر قتلہ، ص1107، ر2766۔
و صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، ص856، ر3283، طمکتبۃ المدینۃ کراچی۔
وسنن ابن ماجہ، اردو ترجمہ مع شرح، ج3، ص664، ر2621، 2622۔
ومسند احمد بن حنبل، اردو، ج5، ص62، ر11171۔
و صحیح ابن حبان، اردو، ج1، ص689، کتاب الرقائق، باب التوبۃ، ر611۔
ومسند ابو یعلی، اردو، من مسند ابی سعید الخذری، ج1، ص573، ر1029۔
والمعجم الکبیر للطبرانی، ۱پیلیکیشن، ص15977۔
وسنن الکبری للبیھقی)

इस में कोई शक नहीं कि अल्लाह त'आला ही अपने बन्दों के गुनाहों को बख्शने वाला है लेकिन ये भी सच है कि जब दरमियान में उस के प्यारे बन्दों का वसीला होता है तो वो इस क़द्र अता फरमाता है कि अपने प्यारे बन्दों का क़ुर्ब हासिल करने वालों की भी मग्फिरत फरमा देता है।

जिस तरह किसी दरख्त की जड़ में डाले गये पानी से आस पास के पौधों को सैराबी मिलती है, इसी तरह अल्लाह वालों का क़ुर्ब हासिल करने से अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है।

अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने बड़ी प्यारी बात लिख दी, आप लिखते हैं कि अगर कोई गुनाहगार इन (अल्लाह के प्यारों) के पास जा कर तौबा करने का सिर्फ इरादा करे, अभी वहाँ गया ना हो और ना तौबा की हो तब भी बख्श दिया जाता है तो जो लोग इन के पास जाकर

इन के हाथ पर बै'अत हो, तौबा करें और उन के वज़ाइफ़ पर अमल करें, उन के मर्तबे और मक़ाम का क्या आलम होगा।
मज़ीद लिखते हैं कि लैलतुल क़द्र का बड़ा मर्तबा है, एक रात की इबादत का दर्जा हज़ार महीनों से ज़्यादा है लेकिन अगर कोई इस रात को पा कर इबादत ना करे तो उसे कोई अजर नहीं मिलता लेकिन औलियाउल्लाह की क्या शान है कि कोई उन के पास जा जाकर इबादत और तौबा नहीं करता (बल्कि क़ुर्ब हासिल करने के लिये) सिर्फ जाने की निय्यत कर लेता है तो बख्श दिया जाता है।

(ملخصًا:شرح صحیح مسلم،ج7،ص531)

जब औलियाउल्लाह के क़ुर्ब का ये आलम है तो फिर इमामुल अम्बिया ﷺ की बारगाह में हाज़िर हो कर अपने गुनाहों से तौबा करने वालों पर अल्लाह त'आला की मेहरबानी का क्या आलम होगा।
जो इन के दर पर अपना दामन फैलाते होंगे उन पर किस क़द्र अतायें होती होंगी, इस का अन्दाज़ा लगाना भी मुमकिन नहीं।
अ़ब्दे मुस्तफ़ा

मैं तो हूँ अ़ब्दे मुस्तफ़ा

जब हम खुद को अ़ब्दे मुस्तफ़ा कहते हैं तो कुछ लोगों को इस से बहुत तक्लीफ़ होती है। उन की तक्लीफ़ का अन्दाज़ा इस बात से लगायें कि इस नाम को ले कर शिर्को कुफ्र तक चले जाते हैं।
होना तो ये चाहिये था कि मोमिन से हुस्ने ज़न की बिना पर "अ़ब्दे मुस्तफ़ा" का माना "गुलामे मुस्तफ़ा" लिया जाये लेकिन यहाँ तक कहा गया कि इस नाम से "शिर्क की बू" आती है।
लफ्ज़े "अ़ब्द" का एक माना गुलाम भी है लिहाज़ा इसी पर बहस खत्म हो जाती है लेकिन फिर ये सवाल किया जाता है कि क्या नबीय्ये करीम ﷺ के ज़माने में किसी ने ये नाम रखा?
हम कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि जो काम हुज़ूर ﷺ के ज़माने में ना हुआ हो वो गलत है बल्कि जो उसूल -ए- शरा के खिलाफ हो तो गलत है, इतनी मोटी बात भी अगर समझ ना आये तो इस में हमारा कोई क़सूर नहीं।

ज़माने की बात आ गई है तो एक रिवायत में है कि खलीफा बनाने के बाद हज़रते उमर फारूक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने खुतबा देते हुये इरशाद फरमाया :

وہنر عبدہ وخادمہ

यानी मैं अब्दे मुस्तफ़ा और खादिम -ए- मुस्तफ़ा हूँ।
इस रिवायत को इमाम हाकिम ने नक़्ल करने के बाद सहीह क़रार दिया है और मज़ीद हवाले ज़ेल में बयान किये जाते हैं :

(انظر: المستدرک للحاکم، کتاب العلم، ج1، ص447، ر439۔
والمستدرک للحاکم، اردو، کتاب العلم، ج1، ص250، ر434۔
والریاض النضرۃ فی مناقب العشرۃ، الفصل التاسع فی ذکر نبذۃ من فضائلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ص315۔
وکنز العمال، اردو، خلافت کے بعد حضرت عمر کا خطبہ، ج5، ص337، ر14184۔
ودراسۃ نقدیۃ فی المرویات الواردۃ فی شخصیۃ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ص586۔
اخبار عمر واخبار عبد اللہ بن عمر، خطتہ فی الحکم، ص55۔
تاریخ مدینۃ دمشق، ج44، عمر بن الخطاب، ص264، 266۔
وفتاوی رضویہ، ج30، ص462، 463۔
وازالۃ الخفاء بہ حوالہ ملفوظات اعلی حضرت، ج1، ص104۔
وفیضان فاروق اعظم، ج2، ص39)

इमाम -ए- अहले सुन्नत, आला हज़रत रहीमहुल्लाह अपने नाम के साथ अब्दे मुस्तफ़ा लिखा करते थे, जब आप से इस के मुताल्लिक़ दरयाफ्त किया गया तो फरमाया :
अल्लाह त'आला फरमाता है :

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآئِكُمْ ؕ (النور:32)

तर्जुमा : और निकाह करो अपनों में उन का जो बे निकाह हो और अपने लाइक़ बन्दों और कनीज़ों का।
अब इसे भी शिर्क कह दीजिये! (कि इस में "इबादुकुम" का लफ्ज़ है।)

आला हज़रत रहीमहुल्लाह ने इस पर तफसील से कलाम फरमाया है।

(انظر: ملفوظات اعلی حضرت، ج1، ص104۔

وانظر احکام شریعت، ص235۔

وفتاوی افریقہ، ص22)

हज़रत अल्लामा मुफ्ती अता मुशाहिदी लिखते हैं कि गैरुल्लाह की तरफ "अ़ब्द" की इज़ाफत जाइज़ व दुरुस्त है।
इरशाद-ए- रब्बानी है :

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ(الزمر:53)

तर्जुमा : ए महबूब! आप फरमा दीजिये कि ए मेरे बन्दों! जिन्होने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो।

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآىٕكُمْ ؕ(النور:32)

तर्जुमा : और निकाह करो अपनों में उन का जो बे निकाह हो और अपने लाइक़ बन्दों और कनीज़ों का।
अहादीस -ए- मुबारका में भी अ़ब्द की इज़ाफत गैरुल्लाह की तरफ (मौजूद) है:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كاتب عبده على ماة اوقية فاداها

(مشكوٰة المصابيح، كتاب العتق، باب اعتاق العبد المشترك... الخ، ص295)

तर्जुमा : रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया कि जिस ने अपने गुलाम से सौ उक़्या पर बदल किताबत किया।
इस हदीस में अ़ब्द की इज़ाफत गैरुल्लाह की तरफ है, इसी इज़ाफत के माना में इन अहादीस में भी "अ़ब्द" का इस्तिमाल हुआ है :

من اعتق شر كاله فى عبد و كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه..... متفق عليه

و من اعتق شقصاً فى عبد اعتق كله

(المرجع السابق، ص294)

अमीरुल मु'मिनीन, हज़रते उमर फारूक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने खुतबे में खुद को रसूलुल्लाह ﷺ का अ़ब्द और खादिम कहा।

(کنز العمال)

कुतुब -ए- फिक़्ह में गैरुल्लाह की जानिब अ़ब्द की इज़ाफत की मिसालें किताबुन निकाह, किताबुल इताक़ वगैरा में देखी जा सकती हैं।

(انظر: فتاوی مشاہدی، ج1، ص136، 137)

बातें और दलाइल तो बहुत हैं लेकिन समझने वालों के लिये इतना काफ़ी है, जो समझना ही नहीं चाहते उन के लिये पूरा दफ्तर भी नाकाफ़ी है।

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

हमारी पसंद

हर लड़का चाहता है कि उसे अच्छी लड़की मिले जो ज़िन्दगी भर उस का साथ निभाए, इसी लिये रिश्ता ढूंढते वक़्त काफी छान बीन भी की जाती है।
लड़की भी चाहती है कि उसे ढेर सारा प्यार देने वाला शौहर मिले जो उस का हमेशा खयाल रखे लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि हम इन चीज़ों को हुस्न और दौलत के बाज़ार में तलाश करते हैं।
लड़की के घर वाले लड़के की आमदनी, घर और दौलत में खुशी ढूँढते हैं तो लड़के वालों को भी दौलत और हुस्न में खुशियों की बहार नज़र आती है लेकिन जब ये चीज़ें वक़्त के साथ चली जाती हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है।
ये चीज़ें हमें सिर्फ "दीनदारी" में मिल सकती हैं जिसे आज कल बहुत कम लोग देखते हैं।

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

एक लड़की चाहिये

एक लड़का है, जिसे आप "मौलवी टाईप" कह सकते हैं क्योंकि वो दाढ़ी नहीं मुंडाता, कोट पेंट नहीं पहनता, सिनेमा घरों में फिल्म देखने नहीं जाता, गाने नहीं सुनता, लड़कियों के साथ छेड़ छाड़ नहीं करता, सिगरेट, तम्बाकू वगैरह को हाथ तक नहीं लगाता, गालियाँ भी देनी नहीं आती और इस के इलावा भी बहुत सी बातें हैं जो उस में नहीं पायी जाती।

अब उस लड़के को अपनी इस लुत्फो लज़्ज़त (इंटरटेनमेंट) से खाली ज़िन्दगी में एक लड़की चाहिये जिस से वो निकाह कर के उसे "बोर" कर सके और अपनी तरह उसे भी "ब्लेक एन्ड वाइट" बना सके।
एक तो ऐसे लड़के से निकाह करना ही बहुत बड़ी बात है ऊपर से जनाब के नखरे तो देखिये कि शराइत और फ़रमाइशों की एक लम्बी चौड़ी फेहरिस्त (लिस्ट) भी तैयार कर रखी है जिसे हम यहाँ नक़ल कर रहे हैं।
क़ारईन (पढ़ने वाले) बतायें कि ऐसे लड़के से कौन निकाह करेगी?
एक लड़की चाहिये जो :
(1) अहले सुन्नत के अक़ाइद से पूरी तरह वाक़िफ़ हो और अपनी ज़रूरत के मसाइल को बिना किसी की मदद के अज़ खुद किताबों से निकाल सके, उस के पास सनद (डिग्री) हो या ना हो, इस से कोई गर्ज़ नहीं बस इल्म होना चाहिये।
अगर मदरसे में पढ़ाई ना भी की हो तब भी कोई बात नहीं।
(2) सिह्हत मन्द हो और उम्र बीस से तीस के दरमियान हो और रही बात खूब सूरत होने की तो असल खूब सूरती इन्सान का अख्लाक़ हैं।
लड़की के घर वालों से मुतालबात (डिमांड्स)
(3) किसी भी तरह की लेन देन नही होगी, अब चाहे वो नक़दी हो, जहेज़ हो, मुँह दिखायी हो या कोई और नज़राना वगैरा हो।
(4) जहेज़ में क़ीमती समान मसलन, गाड़ी, फ्रिज, कूलर, ए सी, पंखा, टीवी, पलंग, सोफ़ा, गद्दे, कुर्सी, टेबल, ज़ेवरात, बर्तन, मिक्सर मशीन, ग्रिन्डर मशीन, वॉशिंग मशीन और मोबाइल हरगिज़ कुबूल नहीं किये जायेंगे और इन के इलावा कुछ देने के बजाये लड़की को कुछ दीनी किताबें दे सकते हैं।
(5) गाना बजाना बिल्कुल नहीं होना चाहिये, ना तो महफिल -ए- निकाह में, ना बारात में और ना किसी और हवाले से।
इस के साथ साथ औरतों के गीत वगैरा गाने पर भी पाबंदी होनी चाहिये।
(6) गैर शरई और गैर ज़रूरी रस्मो रिवाज की सख्त मनाही है।
हल्दी की रस्म, गाने और ढोल बजाने की रस्म, लगन लगाने और संदल उतारने चढ़ाने की रस्म, सिन्दूर लगाने की रस्म, गालियाँ देने की रस्म, मुँह दिखाई और जेब भरायी की रस्म, रात को जागने और सुबह में शादी की रस्म, कपडों की टोकरी बदलने की रस्म, किसी को

गोद में उठाने की तो किसी को धागे से नापने की रस्म, किसी को मीठा खिलाने तो किसी को जूता चुराने की रस्म, दूध में अँगूठी ढूँढने की रस्म और विदाई के वक़्त की छत्तीस क़िस्म की रस्में, सब पर सख्ती से पाबंदी आईद होनी चाहिये, दूसरे अल्फाज़ में यूँ समझ लें कि सिर्फ निकाह होगा।
(7) औरतों और लड़कियों की भीड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिये, अगर आप ने दावत दी है तो उन के लिये बिल्कुल अलग इन्तिज़ाम होना चाहिये ताकि मर्द वा औरत एक महफिल में बे पर्दा जमा ना हो।
बेहतर होगा कि औरतों को दावत ना दें और रही बात बारात की तो उस में दो या तीन से ज़्यादा औरतें नहीं होंगी।
(8) कुल (टोटल) बरातियों की तादाद बीस से भी कम होगी जिन के लिये खाना तैयार करने की इजाज़त नहीं है।
(9) बारात दिन में आयेगी और (चंद घंटों बाद) दिन में ही वापसी होगी।
(10) लड़के के उस्ताज़ -ए- गिरामी निकाह पढ़ायेंगे और बताने का मक़सद ये है कि वक़्ते निकाह किसी तरह की बात ना हो आप के इलाक़े में अगर कोई अन्जुमन, कमिटी या तन्जीम है जो लड़के वालों से मख्सूस रक़म (मस्जिद, मदरसा और क़ब्रिस्तान के लिये) लेती है तो वो पहले ही अदा कर दी जायेगी लेकिन निकाह में उन की किसी भी क़िस्म की कोई दखल अन्दाज़ी नहीं होनी चाहिये।
अब बतायें कि निकाह के लिये कौन तैय्यार होगा? लड़के का कहना है कि इस में इज़ाफा भी करना है, ये क्या कम था जो इज़ाफे की ज़रूरत आन पड़ी?
दोस्तों ने समझाया कि इन शराइत को देख कर कोई तैय्यार नहीं होगा लेकिन लड़का है कि ज़िद्द पर क़ाइम है और कहता है कि हर लड़के की सोच ऐसी ही होनी चाहिये।
अब आप ही समझाइये कि ये दौर डी जे, पार्टी, मस्ती और फुल इंटरटेनमेंट का है, ऐसे रंगीन ज़माने में कौन आप की ब्लेक एण्ड वाइट पर तवज्जोह देगा।
अगर हर लड़के की सोच ऐसी हो गयी तो........

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

खुशी से

लड़की के बाप ने जहेज़ में लड़के को खुशी से एक लाख रूपए नक़द दी,

फिर खुशी से एक गाड़ी दी,
फिर खुशी से एक लाख रूपए का सामान दिया,
फिर खुशी से दो तीन सौ बरातियों को खाना खिलाया,
फिर खुशी से लड़की दी........,
और इन के लिये लाखों रूपए क़र्ज़ लिये, वो भी खुशी से!
ये खुशी हमारी समझ से बाहर है, ये उन्हीं को समझ में आती है जो नक़दी और जहेज़ का मुतालबा (डिमान्ड) तो नहीं करते लेकिन फिर भी "खुशी" के नाम पर सब कुछ ले ही लेते हैं। लाखों रूपए लेने के बाद कहते हैं कि हम ने तो नहीं माँगा था, उन्होने खुशी से दिया तो हम ने रख लिया।
सच तो ये है कि अगरचे सराहतन (क्लियर) माँग ना भी की जाये तो भी ऐसा माहौल बन चुका है कि जहेज़ देना ही पड़ता है (खुशी से) और अगर ना दे तो फिर देखिये कि कौन कितना खुश होता है।
बोलो या ना बोलो, ये तो तय है कि कुछ ना कुछ मिलेगा और देना तो पड़ेगा।
एक मज़े की बात ये है कि जो लोग डिमाण्ड नहीं करते वो डिमाण्ड करने वालों से भी खतरनाक होते हैं, जी हाँ! डिमाण्ड करने वाले बिल्कुल क्लियर बता देते हैं कि हमें इतना चाहिये लेकिन डिमाण्ड ना करने वाले लड़की वालों को परेशानी में डाल देते हैं और वो ये है कि जब डिमाण्ड ना की जाये तो लड़की वालों के दिलो दिमाग में कई तरह की बातें आ रही होती हैं।
मसलन :
लड़के वालों ने डिमाण्ड नहीं किया है तो इस का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं देना है बल्कि हमें अच्छे से समान वगैरा देना होगा और जब उन्होने नक़दी की डिमाण्ड नहीं की है तो समान ज़रा बढ़ा कर देना चाहिये और बरातियों के लिये खाने पीने का इन्तिज़ाम भी अच्छी तरह करना होगा वरना कहा जायेगा कि एक तो हम ने डिमाण्ड नहीं की फिर भी खातिर दारी अच्छी तरह नहीं हुई।
अब डिमाण्ड करने वाले या ना करने वाले दोनो ही किसी ना किसी तरह से गलत हैं लिहाज़ा होना ये चाहिये कि बिल्कुल सराहत के साथ इंकार किया जाये कि हम ना तो नक़दी लेंगे और ना जहेज़ और अगर आप ने कोई क़ीमती चीज़ जहेज़ में दी तो वो हरगिज़ क़ुबूल नहीं की जायेगी।

डिमाण्ड ना करना और बिल्कुल इंकार करना या मना कर देना, इन में फ़र्क़ है।
इस तरह भी किया जा सकता है कि लड़की वालों से इस बात की डिमाण्ड की जाये कि किसी भी तरह की कोई लेन देन नहीं होनी चाहिये।
डिमाण्ड ना कर के अपनी खामोशी को बोलने का मौक़ा ना दीजीये बल्कि सराहतन (तफसील के साथ) मना कर के शुब्हात को खत्म कर दीजिये।

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

मुसलमानों को इक़्तिसादी ख़त्तरा

जो हालात सौ साल पहले आ़ला हज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान ह़नफ़ी क़ादिरी बरकाती बरेलवी (अ़लैहिर्रह़मह) के वक़्त में थे, वही हालात यकलख़्त पलट रहे हैं।
इस मुजद्दिदे क़ौमो मिल्लत ने, तक़रीबन सौ साल पहले ही, अपनी ख़ुदा-दाद सलाहियतों की बुनियाद पर इस क़ौमे मुस्लिम को, इन काफ़िरों की 'चालों' और उन के 'दज्ल' व 'फरेब' से आगाह किया था। मगर, आह स़द आह, हम ने इस अ़ज़ीम मुफ़क्किर को एक ही शुअ़बे तक महदूद कर दिया।
आ़ला हज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान ह़नफ़ी क़ादिरी बरकाती बरेलवी (अ़लैहिर्रह़मह) ने अपनी किताब "अल् मह़ज्जतुल् मुअतमनह फ़ी आयतिल् मुम्तह़नह" में इरशाद फ़रमाया:
"दुश्मन अपने फरीक़ के खिलाफ़ तीन चालें चलता है:
(1) क़त्ल; ताकि दुश्मन का बिल्कुल वुजूद ही ख़त्म हो जाये। अगर ये न हो सके तो...
(2) जलावतनी; ताकि दुश्मन अपने मुल्क व इलाक़े से निकल कर दूर चला जाये। अगर ये भी न हो पाये तो...
(3) इक़्तिसादी बॉयकॉट (Economic Boycott); ताकि ग़ुरबत व मुफ़्लिसी से दो चार हो कर, हमारा ग़ुलाम बन जाये।"
आप देखें कि आ़ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ह़नफ़ी क़ादिरी बरकाती बरेलवी (अ़लैहिर्रह़मह) की फ़रासत व फ़िक्र कैसे साबित हुई, और हो रही है। कुफ्फ़ार ने मुसलमानों के खिलाफ़ यही चालें माज़ी में चलीं और आज भी चल रहे हैं। ब-तरतीब देखें:
(1) क़त्ल: मुसलमानों के क़त्ल के लिये उस वक़्त, जिहाद का उमूमी फ़तवा दिया जा रहा था, ताकि बे इमाम व खलीफ़ा क़लील मुसलमानाने हिन्द, काफ़िरों की अक्सरियत के हाथों क़त्ल

हो जायें, आला हज़रत (अ़लैहिर्रह़मह) ने इसी हिकमत के पेशे नज़र हिन्दुस्तान में जिहाद का फ़तवा न दिया।
और आज 'देशद्रोही', 'गौहत्या', 'कोरोना वायरस' वग़ैरह का इल्ज़ाम आइद कर के, मॉब लिन्चिंग के ज़रिये मुसलमानों का क़त्ल हो रहा है।
(2) जलावतनी: पहले 'तहरीके हिजरत (Hijrat Movement)' चलाई गई, जिस के बहाने मुसलमानाने हिन्द को हिन्दुस्तान से निकालने के लिये कोशिशें की गई।
तो आज CAA, NRC, NPR पेश किये जा रहे हैं, ताकि मुसलमानों की जलावतनी हो सके।
(3) इक़्तिसादी बॉयकॉट: उस वक़्त 'तहरीके खिलाफ़त (Khilafat Movement)' और 'तहरीके तर्के मुवालात [(Non Cooperation Movement)' (जिस का सही नाम तहरीके अ़दमे त'आवुन है)] चलाई गई, ताकि मुसलमान अपना सारा का सारा सरमाया, जोश में आकर तुर्की रवाना कर दें, और जितने मुसलमान अंग्रेजी कम्पनियों में सरकारी मुलाज़िम हैं, वो अपनी अपनी नौकरियाँ छोड़ दें और गरीब व लाचार होकर हिन्दुओं के ग़ुलाम बन जायें।
और आज भी मदरसा बोर्ड की मान्यता ख़त्म करने की पूरी पूरी कोशिश जारी है, ताकि मुसलमानों की सरकारी नौकरियाँ ख़त्म हो जायें। इन हिन्दुओं की तरफ़ से सिविल इम्तिहानात में भी उर्दू को ख़त्म करने की माँग की जा रही है, ताकि कोई भी मुसलमान ऑफिसर लाइन में ना जा पाये।
और अब कोरोना के नाम पर इनका 'इक़्तिसादी बॉयकॉट' उरूज पर होता जा रहा है, ताकि मुफ़्लिस मुसलमानों को इन मुशरिकीन का ग़ुलाम बना डालें।
मगर इन तीन मशहूर चालों के अलावा, एक चाल का ज़िक्र क़ुरआने करीम ने मज़ीद किया है, और वो है 'क़ैद',
यानी मुसलमानों को मौक़ा पाते ही किसी ना किसी तरह क़ैदी बना दिया जाये, ताकि इसकी तमाम हि़स व हरकत, उस तारीक कोठरी में अंधी होकर अपना दम तोड़ दे। आज भी सैकड़ों मुसलमान नौजवान जेल की सलाखों के पीछे अपना दम घोटने पर मजबूर हैं। चूँकि इन मुशरिकीन ने उन पर तरह तरह की तुहमतें व इल्ज़ामात लगाये और उन के खिलाफ़ मुक़द्दमात दर्ज किये।
खबरदार!
अब कोई ये बहाना नहीं बना सकता है, कि: "हमें तो कुफ्फ़ार की इन चालों के बारे में पता ही नहीं था",

ये बहाना इसलिये बातिल है, चूँकि कुफ्फ़ार की तमाम चालें क़ुरआन व हदीस में हज़ारों साल पहले ही मज़कूर हो चुकी थीं मगर हम ने उन्हें न जाना और न ही जानने की कोशिश की।

कुफ्फ़ारे मक्का ने आक़ा (ﷺ) के साथ जो बद सुलूकियाँ की थीं, वो भी इन्हीं चार चालों में से ही थीं, क़ुरआन मजीद उन के दज्ल व फरेब का ज़िक्र कुछ इस तरह से कर रहा है:

"وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ"۔۔۔!

"और ऐ महबूब! याद करो जब काफ़िर तुम्हारे साथ धोका करते थे, कि तुम्हें 'बन्द कर लें' या 'शहीद कर दें' या 'निकाल दें"...!

[तरजमा-ए-कंज़ुल ईमान, 8:30]

इस आयत में ग़ौर करें कि किस तरह अल्लाह तआला ने हमें इन कुफ्फार की चालों से आगाह किया, यहाँ तीन चालों का ज़िक्र है:

(1) क़ैद;

(2) क़त्ल;

(3) जलावतनी;

अब रह गया 'इस्तिसादी बॉयकॉट', तो इस की तअलीम हमें 'शिअबे अबी तालिब' से मिल रही है. इमाम बैहक़ी ने 'दलाइलुन् नुबुव्वह' में और इब्ने कसीर ने 'अल बिदाया वन् निहाया' में 'शिअबे अबी तालिब' के वाक़िये को तफ्सीलन ज़िक्र किया। कुफ्फ़ारे मक्का ने 'बनी हाशिम' और 'बनी मुत्तलिब' के खिलाफ़ जो मक्कारियाँ इख़्तियार की, उन का एक किताबचा तैयार किया, और उसे कअ़ब-ए-मुअज़्ज़मा में लटका दिया। कुतुबे सियर व अहादीस के अल्फाज़ कुछ इस तरह हैं:

"۔۔۔اجتمعوا علي أن يكتبوا فيما بينهم علي بني هاشم و بني المطلب أن لا يُنكِحوهم و لا يَنكَحوا إليهم، و لا يبايعوهم و لا يبتاعوا منهم؛ و كتبوا صحيفة في ذلك، و علقوها بالكعبة، ثم عدوا علي من أسلم، فأوثقوهم و آذوهم، واشتدّ البلاء عليهم، و عظمت الفتنة، و زلزلوا زلزالا شديدا۔۔۔!"

"....कुफ्फ़ारे मक्का इकट्ठे हुये, ताकि बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के खिलाफ़ जो उन्होंने आपस में फैसला किया था उसे लिखें, कि वो उन (के ख़ानदान) से (शादी के लिये) न उन की बेटी लेंगे और न ही अपनी बेटी उन्हें देंगे, और न ही उन से कुछ खरीदेंगे, और न ही उन्हें कुछ बेचेंगे, और इस मुआमले में उन्होंने एक किताबचा लिखा और उस किताबचे को कअ़बा में

लटका दिया। फ़िर मुसलमानों पर ज़ुल्म व ज़्यादती शुरू कर दी, और उन्हें क़ैद किया और उन्हें अज़ियतें दी और मुसलमानों पर मुसीबत सख़्त हो गई और फितना बहुत बढ़ गया और उन (मुसलमानों) पर (ज़ुल्म व सितम के) ज़लज़ले तोड़े गये...।"

[رواه البيهقي في الدلائل و ابن كثير في البداية]

इस इबारत में ग़ौर करने से ये बात आश्कार हो जाती है कि कुफ्फ़ार की एक बड़ी चाल मुसलमानों का इक़्तिसाद बुहरान भी है, क़ाबिले ज़िक्र अल्फाज़ ये हैं:

(1) शादी के लिये उन की लड़की न लेना;

(2) शादी के लिये उन्हें अपनी लड़की न देना;

(3) न उन से कुछ खरीदना;

(4) न उन्हें कुछ बेचना;

नम्बर तीन और चार 'इक़्तिसादी बॉयकॉट' की खबर दे रहे हैं; जबकि साथ ही नम्बर एक और दो 'समाजी बॉयकॉट' की भी ग़म्माज़ी कर रहे हैं...!

अब रही बात ये कि मुसलमानों का, कुफ्फ़ार की जानिब से होने वाले इस 'इक़्तिसादी बॉयकॉट' से कैसे बचा जाये, और मुसलमानों की मईशत को मज़बूत बनाने के लिये क्या किया जाये...?

तो इस का ह़ल भी आ़ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान ह़नफ़ी क़ादिरी बरकाती बरेलवी (अ़लैहिर्रह़मह) की जानिब से सुनें। आप ने अपने रिसाले 'तदबीरे फलाहो नजातो इस्लाह़' में, मुसलमानों की मईशत को मज़बूत बनाने पर अ़मल पैरा होने की हिदायत की, जिन का ख़ुलासा ये है:

(1) वो चंद मुआ़मलात, जिन में हुकूमत की मुदाख़लत लाज़िम होती हैं, उन के अलावा अपने तमाम मुआ़मलात को मुसलमान अपने हाथों में लें, अपने सब मुआ़मलात का फ़ैसला अपने आप ही करें, ताकि ये करोड़ों रूपये जो स्टाम्प व वकालत में खर्च हो जाते हैं, मुकद्दमा की वजह से घर के घर तबाह हो जाते हैं, वो इन बरबादियों से महफ़ूज़ रहें।

(2) मुसलमान अपनी क़ौम के सिवा किसी से कुछ न खरीदें, ताकि घर का नफ़ा घर ही में रहे। अपने खुद के कारोबार को तरक़्क़ी दें, ताकि किसी चीज़ में किसी दूसरी क़ौम के मुहताज ना रहें।

(3) बड़े शहरों के अमीर तबक़े के मुसलमान अपने ग़रीब मुसलमान भाइयों के लिये 'मुस्लिम बैंक' खोलें, ताकि हलाल तरीक़े से उन्हें क़र्ज़ फराहम हो और उन की ज़रूरतों की ठीक से अदायगी हो जाये, साथ ही नफ़ा के वो तरीक़े जो शरीअ़ते मुतह्हरा में बताये हैं उन्हें अपनाया जाये, ताकि सूद जैसी बला से अमीर व ग़रीब, सब मुसलमानों की जान छूटे। इस सूद की अदायगी की वजह से न जाने कितने ग़रीब मुसलमानों की ज़मीन जायदाद, अमीर कुफ्फ़ार की भेंट चढ़ गई।

(4) सब से अहम व अजल्ल व अशरफ व अफ्ज़ल जो है, वो है हमारा 'दीने इस्लाम', इस पर मज़बूती से क़ाइम रहना ही हमारे लिए कामयाबी व कामरानी का सबब है। इसी दीने मतीन पर साबित क़दम रहने के सबब, न जाने कितने ग़ुरबा व फुक़रा, तख़्ते शाही की रौनक बने, मगर याद रहे कि इस दीन का तअ़ल्लुक़ 'इल्मे दीन' सीखने - सिखाने से है, इल्मे दीन सीखना और उस पर अमल करना ही, दोनों जहाँ में नजात का ज़रिया है।

मेरे प्यारों...!

ज़रा इन चार निकाती हिदायात पर गौर करें, और इन पर अ़मल करें, फिर देखें कि कैसे हमारे हालात में तब्दीलियाँ आनी शुरू होती हैं, इन् शा अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल!

मज़ीद ये कि हमें ये देखना होगा, कि तक़रीबन 1400 साल पहले, या 100 साल पहले, या जब भी मुसलमानों के साथ ये सब किया गया, तो उन्होंने इस से किस तरह नजात पायी थी। हमें अपने माज़ी को अपना उस्ताद बनाना होगा, ताकि हम अपने उरूज व ज़वाल, मिल्कियत व ग़ुलामी, फ़तह व मग़लूबियत के असबाब को अच्छी तरह जान लें और उन से खबरदार हो जायें।

अल्लाह तआ़ला हमारे हालात पर रह़म फरमाये,

आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन् नबिय्यि (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम),

मुह़म्मद क़ासिमुल क़ादिरी,
मुतअ़ल्लिम: जामिया अह़सनुल बरकात,
मारहरा शरीफ़ (यू.पी.)

Our Pamphlets

Azaan -e- Bilal Aur Suraj Ka Nikalna
Allah Ta'ala Ko Uparwala Ya Allah Miyan Kehna Kaisa?
Gaana Bajana Band Karo, Tum Musalman Ho!
Shabe Meraj Huzoor Ghause Paak
Ishqe Majazi
Shabe Meraj Nalain Arsh Par
Ghaire Sahaba Mein Radiallaho Ta'ala Anho Ka Istemal
Bahaar -e- Tehreer (5 Parts are Published)
Muqarrir Kaisa Ho?

Abde Mustafa Official